न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी, रिछपाल सिंह बुरड़क R.A.S.

राजस्व मूल वाद संख्या –108/2017

वादीगण :–

1. श्रीमति दाकुदेवी
   पत्नि रामेश्वरलाल
   पुत्री मांगीलाल
   जाति सतनामी साद
   निवासी खवासपुरा
   तहसील पीपाड़
   शहर जिला
   जोधपुर
2. श्रीमति विमला
   पत्नि पुखराज पुत्री
   मांगीलाल जाति
   सतनामी साद
   निवासी माडपुरिया
   तहसील पीपाड़
   शहर जिला
   जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र जीवनराम
2. सिंदुरीलाल पुत्र
   जीवनराम
3. तेजाराम पुत्र जीवनराम
4. भोलकी पत्नि मांगीलाल
5. शान्ति पत्नि सिन्दुरीलाल
6. जिलुड़ी पत्नि तेजाराम
   जातियान सतनामी साद
   निवासीगण ग्राम
   घोड़ावट तहसील पीपाड़
   शहर जिला जोधपुर
7. मंगलाराम पुत्र पेमाराम
8. कानाराम पुत्र पेमाराम
9. हरिराम पुत्र पेमाराम
   जातियान माली
   निवासीगण ग्राम
   घोड़ावट तहसील पीपाड़
   शहर जिला जोधपुर
10. श्रीमति धोपादेवी पत्नि
    पुखराज पुत्री मांगीलाल
    जाति सतनामी साद
    निवासी खवासपुरा
    तहसील पीपाड़ शहर
    जिला जोधपुर
11. श्रीमति छटकी पत्नि
    पपुराम पुत्री मांगीलाल
    जाति सतनामी साद
    निवासी लितरिया
    तहसील जैतारण जिला
    पाली
12. भूमिधारी जरिये
    तहसीलदार पीपाड़
    शहर, जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर टी एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता :
1 श्री जेठाराम चौहान वादीगण की ओर से
2. श्री रामकिशोर चौधरी प्रतिवादी संख्या 4,10,11 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 15/5/2018

1. वकील वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया। वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम घोड़ावट तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में भूमि ख.न. 242 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ भूमि जो रेकर्ड में नया खाता संख्या 84 पर दर्ज है उक्त भूमि को आगे वाद पत्र में

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत् 2061 से 2064 की प्रमाणित संलग्न पेश है।

2. वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या एक से छः का राजस्व रेकर्ड में 1/2 वां हिस्सा अंकित है। वादग्रस्त आराजी में पारिवारिक बंटवाड़ा अनुसार स्वरूपराम व शांति द्वारा प्रतिवादी संख्या चार से छः को अपना हिस्सा बेचान कर दिया है जिसके पश्चात वादग्रस्त आराजी में 1/2 वां हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या एक से छः का नाम इन्द्राज हवै। वादीगण व प्रतिवादी संख्या दस व ग्यारह, प्रतिवादी संख्या एक मांगीलाल की पुत्रियां है, प्रतिवादी संख्या एक के कोई जाईन्दा पुत्र नहीं है मात्र चार पुत्रीयां ही है। प्रतिवादी संख्या एक का वादग्रस्त आराजी में 1/12 वां हक हिस्सा निहीत है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या दस व ग्यारह अपने पिता प्रतिवादी संख्या एक के साथ साथ काबिज होकर काश्त कार्य करती आई है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पुश्तैनी जमीन पर सभी पक्षकारान का अपने हक व हिस्से अनुसार खातेदार प्रतिवादी संख्या एक के साथ साथ हिस्सा निहीत है इसलिए वादीगण वादग्रस्त आराजी में अपने पिता प्रतिवादी संख्या एक के साथा साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है इस पर यह वाद बाबत घोषणा खातेदार का पेश है।

3. इस्तदुआ वादीगण इस प्रकार है कि वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा खातेदारी की डिकी इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि ग्राम घोड़ावट में स्थित वादग्रस्त आराजी ख.न. 242 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ भूमि में वादीगण, प्रतिवादी संख्या दस व ग्यारह को प्रतिवादी संख्या एक के साथ साथ 1/12 वां हक व हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावें।

4. वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाड़ा की डिकी इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि ग्राम घोड़ावट में स्थित वादग्रस्त आराजी का वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य माफिक हक व हिस्सेनुसार माप व सीमांकन के बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के हिस्से की भूमि अलग से तरमीम की जाकर आने जाने हेतु रास्ता कायम किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावें।

5. वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि वादीगण के बंट व हिस्से में आई भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या एक न तो स्वंय दखलअंदाजी उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावें।

6. हमने वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 4,10,11 की ओर से वकील रामकिशोर चौधरी ने वकालातनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 से 9 के समन बाद तामिल न्यायालय में प्राप्त होने पर भी उनके अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 12 फॉर्मल पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 4,10,11 की ओर वकील रामकिशोर चौधरी ने एडमिटेड जवाब प्रस्तुत कर वादीगण का वाद डिकी फरमाने का निवेदन किया।

7. हमने बहस वकुलाय सुनी। वकील वादी ने वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा खातेदारी की डिकी इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि ग्राम घोड़ावट में स्थित वादग्रस्त आराजी ख.न. 242 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ भूमि में वादीगण, प्रतिवादी संख्या दस व ग्यारह को प्रतिवादी संख्या एक के साथ साथ 1/12 वां हक व हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावें। वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाड़ा की डिकी इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि ग्राम घोड़ावट में स्थित वादग्रस्त आराजी का वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य माफिक हक व हिस्सेनुसार माप व सीमांकन के बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के हिस्से की भूमि अलग से तरमीम की जाकर आने जाने हेतु रास्ता कायम किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावें। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि वादीगण के बंट व हिस्से में आई भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या एक न तो स्वंय दखलअंदाजी उत्पन्न करे न किसी अन्य से कराने का निवेदन किया।

उपरोक्त वाद पत्र में प्रतिवादीगण सं दस एवं ग्यारह ने अपना इकबालिया जबाब पेश किया है जिसमें तनकीयात बनाने की आवश्यकता नही है लेकिन न्याय निर्णयन के लिए सुविधा रहे इसलिए निम्न तनकियात के बिन्दु तय किये गये:–

1. तनकी संख्या 1:– आया वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी कृषि भूमि है जिससे वादीगण प्रतिवादी सं. 10 एवं 11 के साथ–साथ वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित होने एवं बंटवाड़ा करवाने की अधिकारीणी है ।

(जिम्मे वादीगण)

2. तनकी संख्या 2:– आया वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 10 एवं 11 विरूद्ध अन्य प्रतिवादीगण बाद खातेदारी घोषणा एवं बंटवाड़ा के अपने हक हिस्से तक स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ।

(जिम्मे वादीगण)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

वकील वादी ने साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेज पेश किया:–

1. नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 खाता संख्या 84 ग्राम घोड़ावट – EXP 1
2. नक्शा ट्रेस– EXP 2

प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराये है।

हमने पत्रावली का गहन अध्ययन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य का गहन अवलोकन किया। बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया। जिसके आधार पर तनकीवार विवेचन एंव निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है:–

तनकी सं. 1 – आया वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी कृषि भूमि है जिससे वादीगण प्रतिवादी सं. 10 एवं 11 के साथ–साथ वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित होने एवं बंटवाड़ा करवाने की अधिकारीणी है ।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 10 एवं 11 पर था । वादीगण द्वारा पेश प्रदर्भ – 1 ग्राम घोड़ावट की जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 के खाता सं. 84 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी 242 रकबा 18.18 बीघा जीवन, शांति पि. लादु 1/2, पेमाराम पिता मिसाराम, हरीराम पिता पेमाराम जाति माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज थी । वादीगण द्वारा अंकित वंशवृक्ष अनुसार जीवनराम के फौत होने पर मांगीलाल जो वादीगण सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 10 व 11 के पिता है के नाम भूमि उतराधिकार में प्राप्त होने पर खातेदारी भूमि वर्तमान दर्ज है । इस प्रकार यह भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 10 व 11 प्रतिवादी सं. 1 के साथ – साथ खातेदार घोषित होने के अधिकारी है तथा खातेदार घोषित होने के अधिकारी होने से बंटवाड़ा करावाने के अधिकारी भी है । हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 में पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनो को जन्म से ही अधिकार होता है इसलिए पुत्र/पुत्री दोनो ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है । पैतृक कृषि भूमि में पिता कि साथ – साथ पुत्रीया भी सहकृषक होती है चाहे राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नही भी हो, इसलिए पुत्रीयां अपने पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते खातेदार घोषित होने एवं बंटवाड़ा कराने की अधिकारी है । अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्ध पाई जाती है ।

तनकी सं. 2 आया वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 10 एवं 11 विरूद्ध अन्य प्रतिवादीगण वाद खातेदारी घोषणा एवं बंटवाड़ा के अपने हक हिस्से तक स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 10 एवं 11 पर रखा गया था चूंकि तनकी सं. 1 इनके पक्ष में सिद्ध पाई गयी है अतः यह तनकी स्वतः ही इनके पक्ष में निर्णित की जाती है ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है व ग्राम घोड़ावट तहसील पीपाड़ शहर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा में वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण सं. 10 व 11 को प्रतिवादी सं. 1 के साथ साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके हक हिस्सा अनुसार माप व सीमाकंन अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर अलग – अलग तरमीम किए जाने के आदेश दिए जाते है । वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जाती है कि वादीगण के वादग्रस्त भूमि में आने वाले हक हिस्सा कब्जा/काश्त की जमीन में प्रतिवादीगण किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नही करे न ही अन्य किसी से करावे । वादग्रस्त आराजीयात मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक हक हिस्सानुसार माप व सीमाकंन के बंटवाड़ा किया जाकर प्रस्ताव पेश करने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर को आदेश दिया जाता है कि माफिक निर्णय उभयपक्षकारान को सूचित कर मौका निरीक्षण की तारीख तय कर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व फर्द के पेश करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करते समय प्रत्येक खातेदार के खेत तक पहुंचने का रास्ता शामलाती भूमि रखा जाकर प्रस्ताव पेश एवं लगान का बंटवाड़ा प्रस्ताव भी अलग – अलग प्रस्तुत किया जावें । कमिश्नर फीस 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये वादीगण द्वारा अदा की जायेगी । खर्च मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । इस आशय की डिकी जारी हो ।

(रिछपालसिंह बुरड़क)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 15.5.18 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(रिछपालसिंह बुरड़क)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर